

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 5280/14-1 दिनांक, 13 मई, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ०सी०/54 दिनांक 29.04.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० वन विभाग, लखनऊ का पत्रांक 3105/11-सी-FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक 02.05.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा दिनांक 27.04.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) में लिये गये निर्णय के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से मांगी गयी बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों में आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं:-

S.N.	EDS	Compliance/Reply
1-	As per DSS analysis some patches of Non Forest land in Purthiyawan village are felling in forest block. This needs to be clarified/rectified.	बिन्दु सं०-1 के सम्बन्ध में पुरथियावां ग्राम की प्राप्त गैर वनभूमि के कुछ हिस्से वन खण्ड में काटे जा रहे हैं, कि स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में अवगत कराना है कि प्राप्त गैर वनभूमि के सम्बन्ध में पूर्व में क्षेत्रीय वनाधिकारी, हसनगंज की जांच आख्या से स्पष्ट किया गया था (छायाप्रति संलग्न है) कि प्राप्त भूमि वन ब्लॉक से लगभग सटे हुए हैं जो गैर वनभूमि ही हैं। भारत सरकार द्वारा पुनः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, हसनगंज तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी, हसनगंज से पुनः आख्या चाही गयी है (छायाप्रति संलग्न है)। उपजिलाधिकारी, हसनगंज द्वारा अपनी दी गई आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि दी गई भूमि गैर वनभूमि है एवं उक्त भूमि को पूर्व में किसी परियोजना हेतु हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उनके द्वारा दी आख्या में पुरथियावां में दी गई भूमि के गाटों का विवरण भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है (छायाप्रति संलग्न है)।

2-	As pre the site inspection report of DIG a Food Plaza is proposed in village NawadabadGarant of Unnao. The option of locating this Food Plaza at adjacent non forest land needs to be explored.	यह सूचना प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से जानी हैं
3-	As per the site inspection report of DIG alignment in Majhkhoria village is bisecting the entire forest block. User agency informed that the alignment cannot be changed now since the entire process of awarding the contract has been completed. State Government is advised to issue orders to all concerned agencies directing them to involve the state Forest Department (local DFO) during the finalization of alignment so as to avoid any discrepancies in in future.	यह सुझाव उ०प्र० सरकार के लिए है।
4-	A committee should be constituted at the level of Nodal officer to access the quality of plantation in few of such cases where the plantations are carried out by user agencies.	यह कार्यवाही नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से की जानी है।

उपरोक्तानुसार आख्या 05 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवनीया

 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

पत्रांक 5280/समदिनांक

प्रतिलिपि:—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, उ०प्र०, लखनऊ को आपकी पत्र सं०—946/1832/यूपीडा/21 (वन) दि०—06.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

कायोलय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हसनगंज रेंज।

पत्रांक 378 / 115-1

दिनांक 07-05-2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषय:- गंगा एक्सप्रेस वे में गयी वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 965, / 41-1 दिनांक 17-09-2021

महोदय,

निवेदन है कि हसनगंज रेंज के अन्तर्गत विभिन्न वन ब्लाक से प्रभावित गंगा एक्सप्रेस वे के बदले राजस्व विभाग से प्राप्त गैर वन भूमि पुरथ्यावां वन ब्लाक के समीप पुर्नग्रहित की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	राजस्व विभाग से प्राप्त गैर वन भूमि		भूमि की श्रेणी	पुरथ्यावां में गैर भूमि के समीप वन भूमि का गाटा संख्या
	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे० में		
1	2	3	4	5
1	1973	3.3130	ऊसर	2039ड., 2041छ
2	1527	0.0527	बंजर	1526
3	1531ख	0.6340	ऊसर	1526
4	462क	0.0060	नवीन परती	462ख, 468
5	344	0'0510	नवीन परती	350 के बीच में
6	448ग	0.2590	ऊसर	473
7	487क	0.2530	नवीन परती	487ख, 481
8	506	0.4680	ऊसर	487ख, 481
9	496	0.3150	ऊसर	487ख
	योग	5.3517		

उपरोक्त राजस्व विभाग से प्राप्त पुरथ्यावां वन ब्लाक के लगे हुए नम्बरान दिये गये, जिसमें वन विभाग के गाटों से भिन्न है। मौके पर व अभिलेखों की जांच भली-भांति कर ली गयी है। प्राप्त गाटा में वन विभाग का कोई भी गाटा सम्मिलित नहीं हैं। शासनादेश के अनुसार भूमि अधिग्रहित करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— 1. वन विभाग की खतौनी की छाया प्रति।

2. राजस्व विभाग की खतौनी की छाया प्रति।

(हस्ताक्षर)
07/05/22

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(डी०डी० पाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
हसनगंज रेंज।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हसनगंज रेंज के अन्तर्गत पुरथ्यावां ग्राम सभा में गैर वन भूमि जो गंगा एक्सप्रेस वे में प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रमांक	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)	भूमि की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1527	0.0527	बंजर
2	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1631ख	0.6340	ऊसर
3	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	462क	0.0060	नवीन परती
4	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	344	0.0510	नवीन परती
5	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	448ग	0.2590	ऊसर
6	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	487	0.2530	नवीन परती
7	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	508	0.4880	ऊसर
8	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	496	0.3150	ऊसर
9	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1973	3.3130	ऊसर
योग					9 क्रिता	5.3517	

उपरोक्त गाटाओं की गैर वन भूमि प्राप्त हुई है, ये गाटा वन ब्लाक से सटे हुये है लेकिन वन विभाग के नहीं है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
औरास, हसनगंज रेंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
हसनगंज रेंज।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

कार्यालय उपजिलाधिकारी, हसनगंज, जनपद-उन्नाव

संख्या : 474/रा0का0/गंगाएक्सप्रेसवे/2022

दिनांक 13 मई 2022

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी
वन प्रभाग
उन्नाव।

विषय- गंगाएक्सप्रेसवे (प्रपोजल सं0-एफपी/यूपी/रोड/रोड़/144793/2021) में ग्राम-पुरथ्यावां की गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- भारत सरकार की पत्र सं0-8वी/यूपी/06/295/2021/एस.सी./54 दि0-29.04.2022

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 5246/14-1 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ग्राम पुरथ्यावां परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की जो 9 गाटे रकबा 5.3517 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई, के संबंध में ग्राम पुरथ्यावां में प्राप्त गैर वन भूमि के कुछ हिस्से वन खण्ड में गिर रहे हैं इसे स्पष्ट/सुधारने की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र सं. 328/एसटी/पुनर्ग्रहण/2020-21 दिनांक 18.07.2021 व लेखपाल की स्थलीय निरीक्षण कर ग्राम पुरथ्यावां पर0 औरास तह0 हसनगंज जिला उन्नाव में वन विभाग को दी गयी गैर वन भूमि पूर्व में किसी अन्य परियोजना हेतु किसी विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है, जो भूमि वन विभाग को दी गयी है वह राजस्व अभिलेखों में ऊसर, बंजर, नवीन परती की श्रेणी में भूमि दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति
1	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1527	0.0527	बंजर
2	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1531ख	0.6340	ऊसर
3	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	462क	0.0060	नवीन परती
4	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	344	0.0510	नवीन परती
5	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	448ग	0.2590	ऊसर
6	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	487	0.2530	नवीन परती
7	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	506	0.4680	ऊसर
8	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	496	0.3150	ऊसर
9	उन्नाव	हसनगंज	औरास	पुरथ्यावां	1973	3.3130	ऊसर
योग					9 किता	5.3517	

13/5/22
उपजिलाधिकारी
हसनगंज उन्नाव।